DP-21(111)

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.in

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 23.04.2015

क्रमांक एफ 3–66/2010/32 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास योजनाओं यथा नगर विकास योजना क्रमांक–4 (कमल विहार), नगर विकास योजना क्रमांक–1, इन्द्रप्रस्थ फेस–2, ''रायपुरा'', विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र विकास योजना, रायपुरा इत्यादि हेतु रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में एफ.ए.आर. एवं एम.ओ.एस. की गणना तथा भूखण्डों के एकीकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता है:–

1. रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 की सारणी 4–सा–3 (संशोधित) के अनुसार कुर्सी क्षेत्र अनुपात की गणना मूल रकबे के आधार पर की जावेगी ना कि आबंटित पुर्नगठित विकसित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर, लेकित निर्मित क्षेत्र का अनुपात आबंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर होगा। यही मापदंड प्राधिकरण द्वारा व्ययन किये जा रहे विकसित भूखण्डों पर भी लागू होगा।

2. नगर विकास योजनांतर्गत रायपुर विकास योजना (पुर्नविलोकित) 2021 सारणी 4–सा–2 (संशोधित) के अनुसार उपांतीय खुला क्षेत्र इन मार्गों पर जिनमें सर्विस रोड का निर्माण किया गया है, सर्विस रोड की चौड़ाई के आधार पर किया जायेगा, परंतु न्यूनतम 3 मीटर का उपांतीय खुला क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

3. नगर विकास योजनाओं में किसी व्यक्ति/फर्म/एक ही परिवार के सदस्यों को एक से अधिक आबंटित पुर्नगठित भूखण्डों का संयुक्तिकरण करने हेतु अनुमोदित अभिन्यास में छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 'क' के अंतर्गत पृथक से संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। भूखण्डों का संयुक्तिकरण करने हेतु रायपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेजीना टोप्पो)
संयुक्त सचिव

D:\2015 File\Latter-2015.doc- 85